संख्या

2015 रा.वा.

दायर दिनांक : 26/03/2015
फैसल दिनांक : 30/11/2015

श्री हुरमा पिता भेरा मीणा निवासी निचली कटेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– वादी –

बनाम

1. श्री दिनेश पिता शंकर मीणा निवासी निचली कटेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री प्रकाश पिता बदा मीणा निवासी निचली कटेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण –

वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 RT एक्ट

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा निचली कटेव की आ. न. 2927/0.33 – 2942/0.38 – 2943/0.04 कुल किता 3 रकबा 0.75 हेक्टर कृषि भूमि तन्हा खातेदारी हैसियत से वादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी न. 1–2 का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने निम्न पडौसों के खेत की भूमि को जो करीब 500 वर्ग फिट भूमि पर कच्चा खपरेलनुमा मकान बना कर उसमें प्रतिवादी संख्या (दो) ने रहना शुरू कर दिया है। यह मकान बनाने का कार्य आज से 1 वर्ष से पहले शुरू किया जो अनाधिकृत होकर हटाने योग्य है। भूमि के पडौस निम्न है:–

पूर्व दिशा मे – जीवा की जमीन व मकान , पश्चिम मे कालू पिता हुरजी का मकान व खेत, उत्तर में वादी की आराजीयात व दक्षिण में भी वादी की आराजीयात है। प्रतिवादी संख्या 1 दिनेश ने भी उक्त मकान के पास निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसे रूकवाया जाना व हटवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है, ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस आशय की शाश्वत निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वाद पत्र मे वर्णित भूमि में प्रवेश नही करे, वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे। वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 एक वर्ष पूर्व अवैध अतिक्रमण कर मकान बना दिया जिससे उत्पन्न हुआ तथा प्रतिवादी न.1 के विरूद्ध दिनांक 18/02/2015 को वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को जबरन कब्जा नही करने बाबत कहा तो धमकी दी कि तुम्हारे जो करना हो वह कर लेना, हम तो मकान बना कर ही रहेगे एवं बाकी जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। जिससे वाद कारण बाबत शाश्वत निषेधाज्ञा उत्पन्न हुआ। इसलिए यह दावा लाया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से वकील श्री सतीश मेनारिया व सन्देश कोठारी ने वकालत नामा पेश किया तथा दिनांक 01/04/2015 को स्वंय प्रकाश व दिनेश न्यायालय में उपस्थित हुये। तत्पश्चात दिनांक 01/10/2015 को जवाब दावा पेश किया गया। वादी ने एक पक्षीय शहादत में स्वंय वादी व गवाह सोमा मीणा के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये है। वादी तथा उसके अधिवक्ता और कोई शहादत–सबूत प्रस्तुत नही करना चाहते है, इसलिये शहादत बन्द की गई ।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। वादी अधिवक्ता की बहस अपने दावें के अनुरूप रही। मुख्य रूप से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी हक की कृषि भूमि पर प्रतिवादी न. 1 ने दावे के कॉलम संख्या 2 मे वर्णित दिशाओं की भूमि पर एक वर्ष पहले मकान बना दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 उसमें जबरन निवास कर रहा है। पुनः प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त निर्माणाधीन मकान के पास और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे तथा जबरन अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया है जिसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाया जाकर वादी को कब्जा सुपूर्द किया जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। संलग्न गॉव निचली कटेव की जमाबन्दी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 155 की नकल से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी है। पुख्ता शहादत– सबूत से वादी का वाद सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि मौजा निचली कटेव की आ.न. 2927/0.33 –2942/0.38 –2943/0.04 कुल किता 3 रकबा 0.75 हेक्टर कृषि भूमि के किसी भू–भाग पर प्रतिवादी न.1 व 2 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा हो तो उसे बेदखल कराया जाकर वादी को कब्जा सुपूर्द किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वाद वर्णित भूमि मे प्रवेश नही करे, न ही वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग मे हस्तक्षेप करे। उक्त कृत्य स्वयं अथवा अपने नौकरो,परिजनो– ऐजेन्टो से भी नही करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।